श्री राम नाथ कोविन्द

श्री राम नाथ कोविन्द ने 25 जुलाई, 2017 को भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। वे पेशे से वकील थे तथा सर्वोच्च संवैधानिक पद संभालने से पहले बिहार राज्य के राज्यपाल थे। श्री कोविन्द कार्यालय में जमीनी स्तर से लेकर शीर्ष न्यायालय और संसद तक गणतंत्र के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने का समृद्ध अनुभव लेकर आए हैं। वे समाज में समानता और सार्वजनिक जीवन में सत्यनिष्ठा के प्रबल समर्थक रहे हैं।

श्री कोविन्द का जन्म 1 अक्टूबर 1945 को उत्तर प्रदेश राज्य के कानपुर जिले के परौंख गाँव में हुआ था। साधारण परिवार से आने के कारण उनकी शुरुआत सादगीपूर्ण रही है। उन्होंने कानपुर में स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई की। उन्होंने पहले स्नातक के लिए वाणिज्य की पढ़ाई की और फिर कानपुर विश्वविद्यालय से विधि की डिग्री हासिल की।

श्री कोविन्द ने 1971 में दिल्ली बार काउंसिल में एक वकील के रूप में नामांकन कराया। उन्होंने 1977 से 1979 तक दिल्ली उच्च न्यायालय में केंद्र सरकार के काउंसल के रूप में कार्य किया। 1978 में वे भारत के उच्चतम न्यायालय में एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड बने। 1980 से 1993 तक वे उच्चतम न्यायालय में केंद्र सरकार के स्थायी काउंसल रहे। नई दिल्ली की नि:शुल्क कानूनी सहायता सोसायटी के अंतर्गत, उन्होंने समाज के कमजोर वर्गों, विशेषकर महिलाओं और गरीबों को निःशुल्क सहायता भी प्रदान की।

श्री कोविन्द को अप्रैल 1994 से उत्तर प्रदेश से संसद के ऊपरी सदन, राज्य सभा के सदस्य के रूप में चुना गया था। उन्होंने मार्च 2006 तक छह-छह वर्षों के लगातार दो कार्यकालों तक सेवा की। कई संसदीय समितियों में कार्य करते हुए, उन्होंने शासन में गहन अनुभव प्राप्त किया। उन्होंने 22 अक्टूबर 2003 को भारतीय प्रतिनिधिमंडल के एक सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया।

श्री कोविन्द सामाजिक सशक्तिकरण के साधन के रूप में शिक्षा के प्रबल समर्थक हैं। वे राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की अधिक भागीदारी का सक्रिय रूप से समर्थन

करते हैं और समाज के वंचित वर्गों, विशेषकर विकलांगों और अनाथों के लिए अधिक अवसर पैदा करने का लगातार आह्वान करते रहे हैं। उन्होंने डॉ. बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ के प्रबंधन बोर्ड में सदस्य के रूप में और भारतीय प्रबंधन संस्थान, कोलकाता के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में सदस्य के रूप में भी अपनी सेवाएँ दीं हैं।

राष्ट्रपति कोविन्द का दृष्टिकोण "नागरिकों और सरकार में उनके प्रतिनिधियों के बीच इष्टतम साझेदारी बनाने" में योगदान देना है। श्री कोविंद को 8 अगस्त 2015 को बिहार राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। राज्यपाल के रूप में उनके कार्यकाल को संविधान के मूल्यों को बनाए रखने के लिए चौतरफा सराहना मिली। कुलाधिपति के रूप में उन्होंने राज्य विश्वविद्यालयों के कामकाज में कई सुधार और आधुनिक तकनीक पेश की और कुलपतियों की नियुक्ति में पारदर्शिता लाई। उन्होंने अपनी राजनीतिज्ञता, दूरदर्शिता और लोकतांत्रिक लोकाचार के पालन के लिए सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से सम्मान अर्जित किया।

राज्यपाल के रूप में श्री कोविन्द की उपलब्धियों ने 2017 में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में उनकी पहचान में चार चांद लगाए। सर्वोच्च संवैधानिक पद के लिए चुने जाने के बाद, उन्होंने दूरदर्शिता और विनम्रता के साथ भारत के प्रथम नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। उन्होंने भारत की वैश्विक पहुंच और पदचिह्नों को बढ़ाते हुए जून 2022 तक 33 देशों का राजकीय दौरा किया है। इन राजकीय यात्राओं में, राष्ट्रपति कोविन्द ने भारत के शांति, प्रगति और सद्भाव के संदेश को शाश्वत किया। भारत के राष्ट्रपति के रूप में, उन्हें छह देशों, मेडागास्कर, इक्वेटोरियल गिनी, इस्वातिनी, क्रोएशिया, बोलीविया और गिनी गणराज्य से सर्वोच्च राजकीय सम्मान प्राप्त हुआ है।

भारत के सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर के रूप में, मई 2018 में राष्ट्रपति कोविंद ने दुनिया के सबसे ऊंचे युद्धक्षेत्र सियाचिन में "कुमार पोस्ट" पर तैनात सैनिकों का ऐतिहासिक दौरा किया। वे एक उत्साही पाठक हैं तथा राजनीति और सामाजिक परिवर्तन, विधि, इतिहास और आध्यात्मिकता पर पुस्तकों में उनकी गहरी रुचि है।